

कार्यालय जिलाधिकारी, कासगंज

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद कासगंज में गठित “जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन” (DWSM) समिति की दिनांक 22-03-2023 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त

प्रमुख सचिव, उ० प्र० शासन नमामि गंगे जलापूर्ति अनुभाग-1 के शा० सं० 95/छिहत्तर-1-2020-20 स्वजल/2010 टी.सी.-अ लखनऊ दिनांक 21 जनवरी 2020 के द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता मिशन जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत निर्गत दिशा-निर्देशों के अनुरूप जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के संगठनात्मक स्वरूप को और सुदृढ़ बनाने तथा ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा मूल्यांकन तथा उनके अनुश्रवण हेतु शासनादेश सं० 2211/38-05-2010-20 स्वजल/2010 (टी.सी.-अ) दिनांक 29 नवम्बर 2010 को संशोधित करते हुये जनपद स्तर पर गठित “जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन” समिति की बैठक दिनांक 22-03-2023 को आयोजित की गई। जिसमें निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया :-

1. जिलाधिकारी, कासगंज	- अध्यक्ष
2. मुख्य विकास अधिकारी, कासगंज	- उपाध्यक्ष
3. जिला विकास अधिकारी, कासगंज	- सदस्य
4. प्रभागीय वनाधिकारी स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	- सदस्य
5. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, कासगंज	- सदस्य
6. जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कासगंज	- सदस्य
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, कासगंज	- सदस्य
8. अधिशासी अभियन्ता, वॉटर रिसोर्स/सिंचाई	- सदस्य
9. जिला कृषि अधिकारी, कासगंज	- सदस्य
10. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, कासगंज	- सदस्य
11. डा० राधा कृष्ण दीक्षित, कासगंज	- नामित सदस्य
12. अधिशासी अभियन्ता, ख०का० उ०प्र० जल निगम (ग्रा०), कासगंज	- सदस्य सचिव

अधिशासी अभियन्ता एवं सदस्य (सचिव), नि०ख० उ०प्र० जल निगम, कासगंज द्वारा अवगत कराया गया है, कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) द्वारा जनपद कासगंज में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति के लिये नई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मै० पी.एन.सी. इन्फ्राटेक प्रा०लि० आगरा एवं रेट्रोफिटिंग योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु मै० आर्यन एक्सचेन्ज, अलीगढ़ को चयनित किया गया है। जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने की दृष्टि से “जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति” द्वारा मै० पी.एन.सी. प्रा०लि० आगरा की फर्म को 391 ग्राम पंचायतों की सूची एवं मै० आर्यन एक्सचेन्ज, अलीगढ़ की फर्म को 09 नग ग्राम पंचायतों की सूची उपलब्ध कराई गई। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराये जाने के दृष्टिगत फर्म मै० पी.एन.सी. द्वारा राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन (SWSM) तथा जल निगम मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये निर्देशों के अनुपालन में कुल 36 नग पे०यो० की डी.पी.आर बैठक में प्रस्तुत की गई।

मै० पी.एन.सी. द्वारा प्रस्तुत की गई 36 नग नई योजनाओं की डी.पी.आर. की लागत रु. 9000.00 प्रति व्यक्ति से कम पाई गई। जो कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत दिनांक 11-08-2022 को सम्पन्न राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति की सत्तरहवीं बैठक के कार्यवृत्त में दिये गये निर्देशों के अनुसार स्वीकृत योग्य है। डी.पी.आर. विरचन हेतु गाइड लाइन के मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है :-

1. Population Projection हेतु आधार वर्ष 2022, मध्य वर्ष 2037 और डिजाइन वर्ष 2052 रखा जाये। विभिन्न Mathematical एवं Graphical माडल्स के आधार पर सर्वोत्तम एवं उचित जनसंख्या का चयन किया जाये।
2. नलकूप और पम्पिंग प्लांट के डिजाइन मध्य वर्ष (15 वर्ष) की वाटर डिमान्ड पर किया जाये।
3. अवर जलाशय की क्षमता की गणना मध्य वर्ष (15 वर्ष) पर Draw off पैटर्न पर की जाये।
4. सामान्यतः सोलर आधारित योजनाएँ निम्नित की जाये, जिस हेतु पम्पिंग Hours 6.5 लिया जाये।

5. वितरण प्रणाली में न्यूनतम पाइप का व्यास 63 एम.एम. रखा जाये एवं 200 एम.एम. व्यास तक एच.डी.पी.ई. पाइप एवं 200 एम.एम. व्यास से अधिक हेतु डी.आई. पाइप का प्रयोग किया जाये।
6. वितरण प्रणाली के डिजाइन हेतु न्यूनतम टर्मिनल प्रेशर 7.0 मी० रखा जाये।
7. वाटर डिमांड की गणना हेतु 55 LPCD + 15% unaccounted water को लिया जाये।
8. ग्राम के प्रत्येक घर को गृह पेयजल संयोजन दिया जाना है, एवं प्रत्येक सार्वजनिक स्थल पर एक स्टैंड पोस्ट का प्राविधान किया जाये।
9. एक फायर हाइड्रेंट वाटर वर्क्स पर एवं एक फायर हाइड्रेंट प्रत्येक राजस्व ग्राम में दिया जाये।
10. वाटर वर्क्स हेतु वाउन्ड्री वॉल की ऊँचाई 1.20 मी० रखी जाये एवं 3.6 मी० चौड़ाई का मैन गेट एवं 1.20 मी० चौड़ाई का विकेट गेट रखा जाये।

फर्म द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर. में ली गई कार्यों की दरें SWSM तथा जल निगम द्वारा निर्गत दरों के आधार पर ली गई हैं। समस्त प्रस्तुत डी.पी.आर. की SWSM तथा जल निगम द्वारा निर्गत की गई तकनीकी गाइडलाइन के अनुरूप सघनता से जाँच की गई। जाँच में पाई गई कमियों का निराकरण करते हुये, समस्त डी.पी.आर. जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति को प्रस्तुत की गई। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

Sl No.	District	Block	Name of Scheme	Total No. of GP	Total no. of Rev. village	Total no. of Hab.	FHTC	Population detail		Estimated cost (Rs. In Cr.) (Centage + GST)	OHT (no.)	OHT capacity (kl)	D.S. (M.)
								Base Year 2022	Design year 2052				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kasganj	Kasganj	SATPURA MAFI	1	2	2	528	2906	4604	2.2079	1	100	7662
2	Kasganj	Kasganj	MAHAWAR	1	1	2	542	2930	4242	2.3968	1	100	9325
3	Kasganj	Kasganj	FARIDPUR	1	1	2	325	1841	2925	1.4855	1	75	3632
4	Kasganj	Kasganj	Dhantouriya	1	1	1	272	1534	2444	1.6303	1	50	7615
5	Kasganj	Kasganj	KANTAUR	1	1	5	1107	7237	11490	3.8906	1	225	19800
6	Kasganj	Kasganj	JHANGIRPUR	1	2	3	472	2498	3909	2.1511	1	75	8250
7	Kasganj	SIDHPURA	KILAUNI	1	2	2	378	2090	3320	2.1378	1	75	12572
8	Kasganj	SIDHPURA	SUNAHARA	1	2	2	391	2230	3562	1.7559	1	75	6127
9	Kasganj	SIDHPURA	BASAI	1	1	1	506	3169	4848	1.6926	1	100	4393
10	Kasganj	SIDHPURA	GANGSARA	1	1	1	266	1533	2448	1.3951	1	50	4585
11	Kasganj	SORON	HIMAUNPUR	1	3	2	317	2011	3184	1.4639	1	75	3467
12	Kasganj	SORON	GURHENA	1	2	5	373	2350	3710	2.1048	1	75	8844
13	Kasganj	AMANPUR	BADHARI KHURD	1	1	1	286	1501	2397	1.2933	1	50	3547
14	Kasganj	Kasganj	PAVSARA & Kasganj Grameen	1	2	11	1308	6947	7718	4.492	1	350	22730
15	Kasganj	AMANPUR	YADGARPUR	1	1	1	264	1712	2725	1.3651	1	75	2966
16	Kasganj	AMANPUR	NEEWARI	1	2	4	460	2451	3779	1.8434	1	75	5957
17	Kasganj	GANJDUND WARA	DHAVA	1	1	1	548	3357	5304	1.9772	1	100	4740
18	Kasganj	AMANPUR	DORRA	1	1	3	206	1305	2086	1.5075	1	50	4351
19	Kasganj	SORON	NAURTHA	1	1	1	425	2397	3726	1.6111	1	75	4254
20	Kasganj	AMANPUR	KHUSHKHARI	1	1	6	1105	6448	9156	3.7346	1	175	22628
21	Kasganj	GANJDUND WARA	SAMASPUR	1	1	2	1066	8173	10180	3.9400	1	225	1519
22	Kasganj	GANJDUND WARA	MYUNI	1	2	2	359	1926	3064	2.1328	1	125	6420
23	Kasganj	AMANPUR	UNCHAGAO	1	1	4	292	1574	2497	1.5557	1	50	5130
24	Kasganj	SORON	GORHA	1	1	5	722	3978	5015	3.2680	1	225	1361
25	Kasganj	patiyali	PRTAPPUR	1	1	6	355	2539	4010	1.9563	0	0	1007
26	Kasganj	sahawar	Gunar	1	3	3	707	4241	6266	3.4874	1	275	13283
27	Kasganj	Kasganj	karsari hlyatgarhi	1	1	4	421	2496	3979	2.3251	1	150	8196
28	Kasganj	Kasganj	Bhitauna	1	1	3	480	2788	4297	2.2350	1	175	4711
29	Kasganj	sahawar	Gadhaka	1	1	2	713	4784	7098	2.7272	1	150	9729
30	Kasganj	Sidhpura	Longpur	1	2	2	430	2346	3737	2.3669	1	150	6837
31	Kasganj	Kasganj	Bhitauna 2	1	1	4	246	958	1315	1.4969	1	50	6093
32	Kasganj	Soron	Dewari Pahladpur	1	1	2	948	6108	9757	4.3365	1	375	10483
33	Kasganj	Sidhpura	Mandanpur	1	1	1	272	1385	2205	1.2861	1	50	3351
34	Kasganj	kasganj	kasganj Grameen	1	3	4	684	4236	6726	3.9231	1	275	20848
35	Kasganj	patiyali	MAJRA JAT PATIYALI	1	1	18	1470	7964	12534	8.7449	1	400	37220
36	Kasganj	sahawar	Ganeshpur	1	2	2	377	2018	3226	2.1099	1	75	7220

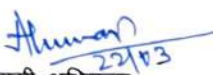
अतः प्रमुख सचिव, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन लखनऊ के आदेश सं0 1197/छियत्तर-1-2021-25 सम/2019 दिनांक 21 मई 2021 के अनुपालन में कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराये गये प्राक्कलनों को नियमानुसार रु. 5.00 करोड से अधिक लागत की 01 नग योजना को जिला स्तर पर गठित "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति के द्वारा संस्तुति कर तथा अवशेष 35 नग योजनाएँ जिनकी लागत रु. 5.00 करोड से कम है, को "जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन" समिति में वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृत प्रदान कर अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ को अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया है।


अधिशासी अभियन्ता
नि0ख0 उ0प्र0 जल निगम
कासगंज
(सदस्य सचिव)


डॉ0 राधा कृष्ण दीक्षित
कासगंज
(नामित सदस्य)


जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी
कासगंज
(सदस्य)


जिला कृषि अधिकारी
कासगंज
(सदस्य)


अधिशासी अभियन्ता
वाटर रिसोर्स/सिचाई
कासगंज
(सदस्य)


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कासगंज
(सदस्य)


जिला मुख्य चिकित्साधिकारी
कासगंज
(सदस्य)


प्रभागीय वनाधिकारी,
कासगंज
(सदस्य)


परियोजना निदेशक,
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
कासगंज (सदस्य)


जिला विकास अधिकारी
कासगंज
(सदस्य)


मुख्य विकास अधिकारी
कासगंज
(उपाध्यक्ष)


जिलाधिकारी
(अध्यक्ष)
"जिला पेयजल एवं स्वच्छता समिति"
कासगंज